संख्या-88/2023/1499/22-2-2022-17(1200)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 मार्च, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भीष्म पुत्र श्री चरन सिंह जनपद, मथुरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भीष्म पुत्र श्री चरन सिंह, निवासी नंगला केहरी, एच/ओ0-पाडल थाना-गोवर्धन-जनपद मथुरा का है। बन्दी दिनांक 04.08.2007 को सत्यपाल भांजी कविता व गौरा देवी के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर चारा लेने खेत पर गये थे, अभियुक्तगणों ने उन्हें रास्ते में रोककर आम रास्ता नहीं होने की बात कहते हुए गाली गलौज करने लगे। सत्यपाल द्वारा खेत से चारा लेकर वापस आते समय बन्दी ने 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, बन्दूक, फरसा, कुल्हाड़ी, डण्डा, सरिया तथा लाठी से हमला कर दिया और अन्धाधुन्ध गोलियां चलाकर हत्या कर दी तथा शोर सुनकर विनय के पहुँचने पर उसकी हत्या सहित कुल 02 लोगों की हत्या कर दी। उक्त् अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2007, धारा-148,302/149 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपरा सत्र न्यायाधीश (न्याया0नं0-06) मथुरा के आदेश दिनांक 10.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 08.08.2021 तक 14 वर्ष, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 04 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 03.01.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 04.08.2007 को सत्यपाल भांजी कविता व गौरा देवी के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत से जाने को लेकर हुए विवाद में 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, बन्दूक फरसा, कुल्हाड़ी, डण्डा, सरिया तथा लाठी से 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई के समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी प्रिजनर्स रिलीज आंन प्राबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी भीष्म पुत्र श्री चरन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भीष्म (बन्दी संख्या-17012) पुत्र श्री चरन सिंह के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-88/2023/1499(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-88/2023/1499/22-2-2022-17(1200)/2022

दिनांक 13 मार्च, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भीष्म पुत्र श्री चरन सिंह, निवासी नंगला केहरी, एच/ओ0-पाडल थाना-गोवर्धन-जनपद मथुरा का है। बन्दी दिनांक 04.08.2007 को सत्यपाल भांजी कविता व गौरा देवी के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर चारा लेने खेत पर गये थे, अभियुक्तगणों ने उन्हें रास्ते में रोककर आम रास्ता नहीं होने की बात कहते हुए गाली गलौज करने लगे। सत्यपाल द्वारा खेत से चारा लेकर वापस आते समय बन्दी ने 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, बन्दूक, फरसा, कुल्हाड़ी, डण्डा, सरिया तथा लाठी से हमला कर दिया और अन्धाधुन्ध गोलियां चलाकर हत्या कर दी तथा शोर सुनकर विनय के पहुँचने पर उसकी हत्या सहित कुल 02 लोगों की हत्या कर दी। उक्त् अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2007, धारा-148,302/149 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपरा सत्र न्यायाधीश (न्याया0नं0-06) मथुरा के आदेश दिनांक 10.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 08.08.2021 तक 14 वर्ष, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 04 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 03.01.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 04.08.2007 को सत्यपाल के भांजी कविता व गौरा देवी के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत से जाने को लेकर हुए विवाद में 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, बन्दूक फरसा, कुल्हाड़ी, डण्डा, सरिया तथा लाठी से 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई के समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी प्रिजनर्स रिलीज आंन प्राबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी भीष्म पुत्र श्री चरन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in